

**उपस्थिति – श्री गौरी शंकर**

**न्यायालय-सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमराँव**

**स्वत्व वाद सं०-567 / 2021**

विष्णु भगवान यादव.....वादी ।

बनाम्

मो० जमीर अंसारी वगै० .....प्रतिवादीगण ।

**आदेश**

**10.03.2026**

उभय पक्ष अनुपस्थित है। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर उभय पक्ष की ओर से आज कोई उपस्थित नहीं हुआ। उभय पक्ष की तरफ से आज कोई पैरवी भी नहीं है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 13.01.2026 को उचित पैरवी हेतु अंतिम अवसर दिया गया है। किन्तु वादी द्वारा आज तक कोई पैरवी नहीं किया गया और ना ही कोई उचित कदम उठाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं रह गया है, जब कि वाद वर्ष 2021 से लम्बित है। ऐसी परिस्थिति में इस वाद को और अधिक समय के लिए लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद को अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(गौरी शंकर)

सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,  
डुमराँव (बक्सर)